# bdkbl 8 ukxfjdrk

bdkbl dh :ijs[kk


8.1 प्रस्तावना

8.2 महत्त्व

8.3 नागरिकता का स्वरूप

8.4 उदारवादी लोकतंत्र, नागरिकता तथा नगर संस्कृति

8.5 मार्क्सवाद और नागरिकता

8.6 जनसामान्य और नागरिकता

8.7 समूह–विभेदित नागरिकता (Group-Differentiated Citizenship)

8.7.1 नागरिकता : सांस्कृतिक पहचान से स्वतंत्र सहजगुण स्वरूप

8.7.2 नागरिकता : समूह–विभेदित पहचान स्वरूप

i) बहु प्रजातीय अधिकारों पर आधारित नागरिकता

ii) विशेष प्रतिनिधित्व अधिकार

iii) स्वशासन अधिकार

8.8 सारांश

8.9 अभ्यास


## 8-1 iLrkouk

एक विशिष्ट संबंध जिसे लोग आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में सापेक्षतः बराबरी का दर्जा देते हैं और अधिकार व विशेषाधिकार जो वह प्रदान करता है तथा कर्त्तव्य व बाध्यताएँ जो उससे जन्म लेती हैं, पर अतीत में ध्यान दिया गया है और अनेक समाजों में उसे अभिव्यक्ति दी गई है। नागरिकता इस प्रकार के संबंध में अभिव्यक्त एक राजनीतिक समुदाय की सदस्यता को इंगित करती है। इस प्रकार का संबंध प्रायः आमतौर पर अन्य सामाजिक संबंधों और खासतौर पर, सार्वजनिक जीवन को गहराई से अंकित करता है। कुछ समाज, जैसे यूनानी, रोमन तथा मध्यकालीन यूरोप के शहर–राज्य, इस संबंध को निश्चयात्मक कानूनी एवं राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। आधुनिक उदारवादी राज्यों के उदय के साथ ही नागरिकता, जो किसी राज्य व्यवस्था के स्थायी निवासियों के एक छोटे से भाग तक ही सीमित थी, की माँग होने लगी और इस प्रकार के राज्यों के भीतर आबादी के वृहद् से वृहत्तर हिस्सों तक उत्तरोत्तर फैल गई। इसके बाद नागरिकता असमानता, भेदभाव तथा बहिष्करण के प्रचलित रूपों के खिलाफ़ संघर्ष करते समूहों के सामाजिक–राजनीतिक अन्तर्वेशन हेतु नियामक औज़ार बन गई।

आज, हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है और वहाँ पर भी जहाँ नागरिकता वाग्वितण्डा में उलझी है, अनेक अन्तरराष्ट्रीय व घरेलू प्रावधान मौलिक अधिकारों व बाध्यताओं का अल्प परिमाण सुनिश्चित करते हैं। जबकि नागरिकता हकदारी सार्वभौमिक हो चुकी है, उन मानदण्डों के संबंध में

असुलझे संघर्ष हैं जिन्हें नागरिकता हेतु दावेदारों के अन्तर्वेशन और बहिष्करण को सूचित करना चाहिए; वे अधिकार व संसाधन हैं, जो उसके पास होने चाहिए और वे कर्त्तव्य व बाध्यताएँ हैं जिनकी नागरिक से अपेक्षा की जाती है; नागरिक का संबंध एक ओर राज्य से है, तो दूसरी ओर समुदाय से; अन्य स्नेह–पालित मूल्यों के प्रति नागरिकता का संबंध है, जैसे स्वतंत्रता व समानता और वे नागर व सभ्यतासूचक मूल्य व प्रथाएँ हैं जिन्हें नागरिकता को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक सक्रियित नागरिकता को अनेक लोगों द्वारा हमारे जमाने में राज्य व्यवस्था की कई बीमारियों हेतु एक इलाज पेश करने के रूप में देखा जाता है। इन जटिल माँगों, खिंचावों व दबावों के चलते इस धारणा की समझ इस विषय पर प्रचलित साहित्य में गहरे प्रतिवादित है।

## 8-2 egÙo

नागरिकता की बढ़ती महत्ता ने इस धारणा से जुड़ी सैद्धान्तिक संदिग्धता को स्थिर अवस्था में नहीं रखा है। राजनीतिक प्रक्रियाओं व मूल्यों की एक शृंखला से जुड़ी नागरिकता–संबंधी संकल्पना के महत्त्व और इसी कारण एक प्रमुख नियामक व व्याख्यात्मक चर मूल्यों में समय–समय पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। टी.एच. मार्शल ने आरंभ में विशेष रूप से कार्यरत वर्ग के संदर्भ में बहिष्कृत सामाजिक समूहों के मध्य विभिन्न, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्षरत लोगों को समझाने के लिए इसका नियोजन किया। उसने नागरिक अधिकारों के विकास की जानकारी ली और इस विकास को एक तरफ मध्यवर्गीय नागरिकों तथा दूसरी तरफ कार्यरत वर्ग की स्थिति से जोड़ दिया। तथापि पौरत्व संबंध इतने व्यापक हैं कि सभी प्रकार के प्रजातीय समूह और अल्पसंख्यक इसका अंतिम आश्रय के रूप में सहारा लेते हैं। ब्रायन टर्नर ने सामाजिक आन्दोलनों और वर्ग संघर्षों तथा पौरत्व पहचान के बीच सम्बन्ध तलाश किए। कुछ ऐसे लेखक हैं, जिनका तर्क है कि नागरिक अधिकार उनके मौलिक रूप में सुसज्जित संरचनाओं से निकट से जुड़े हुए हैं। एण्टोनी गिड्डन्स और रमेश मिश्रा नागरिक अधिकारों के चारों तरफ सघन अस्पष्टता की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। जानोस्की नागरिक अधिकारों और उनकी अनिवार्यता के गायब सम्बन्ध तथा इन दोनों से संबंधित सूक्ष्म अध्ययन न किए जाने पर पछतावा करते हैं। हाल के वर्षों में नागरिकता को समूह पहचान के साथ जोड़ने और व्यक्ति के अधिकारों के आधार पर नागरिकता की धारणा के प्रतिकूल नागरिकता की समूह पृथकीकृत धारणा के संरक्षण के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं। सामाजिक दृष्टि से यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं कि सीमान्तक लोगों को किस प्रकार नागरिक अधिकारों के दायरे में लाया जाए तथा किस प्रकार राष्ट्र अन्य देशों से अजनबियों और उनकी संस्कृति का आपस में मेल हो। इसके अतिरिक्त, हम थोड़ा बहुत उन कारणों के बारे में जानते हैं जो लोगों को नागरिकता के आदर्शों की ओर ले जाते हैं। इस सम्बन्ध में मार्शल के वर्ग के प्रति समान आरोपण से लेकर मैस्लो के आवश्यकताओं के वर्गीकरण तक व्यापक मतभेद हैं। इसके अतिरिक्त आदर्श पूर्वाभिरुचियाँ नागरिकता की समझ और महत्त्व को गहनता से विशिष्ट बनाते हैं। हमारे समय में नागरिकता पर बढ़ते साहित्य के ये कुछ विशेष तथ्य और चिंतन हैं।

गत वर्षों में सामाजिक विज्ञान के साहित्य में नागरिकता पर कोई महत्त्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई थी। तथापि, अन्तिम डेढ़ दशक में नागरिकता सामाजिक विज्ञान के साहित्य में नियामक प्रयोजन एवं समाजिक घटना दोनों के रूप में अचानक मुख्य प्रकरण के रूप में उभरी है।

विश्व और भारत में कतिपय हाल के रुझानों ने जटिल विषय के रूप में नागरिकता को बार–बार प्रस्तुत किया है। पश्चिमी विश्व में मतदाता की बढ़ती हुई उदासीनता और दीर्घकालिक लोकहितकारी पराधीनता, राष्ट्रवादी और जन आन्दोलन जिनके कारण पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में नौकरशाही सामाजिक क्षेत्रों की अवनति हुई, पश्चिम में लोकहितकारी राज्यों के विरुद्ध काले लोगों तथा तृतीय विश्व में केन्द्रीकृत एक दल के राज्य और बहुसांस्कृतिक और बहुशास्त्रीय सामाजिक संगठन के प्रति पश्चिमी विश्व में जनसांख्यिकीय बदलाव ने नागरिकता के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जबकि उन सत्तासीन राज्यों के पतन जिन्होंने नागरिक मध्यस्थता को नया मोड़ दिया, ने नागरिक मध्यस्थता को विशेष महत्त्व मिला, लोकहितकारी राज्य पर शासकीय आक्रमण ने सामाजिक अधिकारों के प्रति पूर्व आशंकाओं को नागरिकता की समावेश्य प्रथाओं के केन्द्र में ला दिया। लोकहितकारी, समाजवादी और सत्तासीन राज्यों की आलोचना ने सत्तासीन राज्यों को नगर–एजेंसी द्वारा गठित ग़ैर–राज्यीय कार्यस्थल का महत्त्व समझा दिया है। दार्शनिक तौर पर वस्तुनिष्ठावाद जिसने नगर–एजेंसी के निर्मुक्त आचरण के लिए छोटी–सी उम्मीद दिखाई थी, के पतन ने उन अभिरुचियों के महत्त्व को ऊँचाई पर पहुँचा दिया, जिन्हें नागरिक निश्चित रूप से और सामूहिक तौर पर चाहते हैं। भारत में सक्रिय नागरिकता को प्रचलित सत्तासीनता के लिए समय की आवश्यकता, सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही में कमी, बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार, विरोधियों की असहिष्णुता, मौलिक अधिकारों के निवारण में कमी, सार्वजनिक कार्यों के प्रति लगन और कार्यसंस्कृति में कमी, प्रशासन में पारदर्शिता और अन्य नागरिकों के प्रति असहिष्णुता के रूप में प्रस्तुत किया है।

कुल मिलाकर, आज आधुनिक प्रजातंत्र के स्वास्थ्य और उसकी स्थिरता के लिए नागरिकों की गुणवत्ताओं और दृष्टिकोणों का अधिक बेहतर मूल्यांकन हुआ है। उनकी पहचान प्रज्ञा और उनके क्षेत्रीय, प्रजातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचानों से संबंधित जटिल और बहुवादी प्रजातंत्रों में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ गुणवत्ताएँ जैसे सहिष्णुता की क्षमता तथा दूसरों, जो एकदम भिन्न हैं, के साथ कार्य करना सफल प्रजातंत्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। गैल्सटन ने सुझाव दिया है कि स्वस्थ प्रजातंत्र में इन विशेषताओं के साथ, लोकहितकारी कार्य और राजनीतिक प्राधिकारियों की जवाबदेही निश्चित करने को बढ़ावा देने की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की नागरिकों की इच्छा, स्वतः विरोध और अपनी आर्थिक माँगों तथा निजी रुचियों में व्यक्तिगत जिम्मेवारी निभाने की उनकी इच्छा जो उनके स्वास्थ्य एवं उनके वितरण के प्रति वचनबद्धता को प्रभावित करती है, अपेक्षित हैं। उनका कहना है कि इनके न होने पर ''सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए उदारवादी समाजों की योग्यता उत्तरोत्तर कम होती है।''

आज पहले के मुकाबले इस बात पर अधिक सहमति है कि मात्र संस्थापनात्मक और क्रियाविधिक युक्तियाँ जैसे शक्तियों का विभाजन, द्वि–सदनीय विधायिका और संघीयवाद राजतंत्र के स्वास्थ्य एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित नहीं करेंगी। इस प्रयोजन के लिए मानवीय गुण और लोक भावना जो नागरिकता के अनन्य अंग है, अपेक्षित हैं।

## 8-3 ukxfjdrk dk Lo:i

नागरिकता की अनेक परिभाषाएँ हैं। यह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से भी प्राप्त हुई हैं। अस्थायी तौर पर, हम नागरिकता को कतिपय ऐसे अधिकारों और दायित्वों वाले राजनीतिक समुदाय की सदस्यता के रूप में मान सकते हैं, जो जनसामान्य में व्यापक रूप से व्याप्त और आवंटित हैं। सदस्यता सक्रिय और

तटस्थ दोनों प्रकार की होती है, जिसे नागरिक ग्रहण करते हैं। तटस्थ सदस्यता वाले नागरिक कतिपय अधिकारों और दायित्वों के हकदार होते हैं, चाहे उनके निर्माण में उनकी कोई सक्रिय भूमिका हो अथवा नहीं। परन्तु नागरिकता में समुदायों के जनसामान्य और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेना भी शामिल होता है और यह इससे सम्बन्धित अधिकारों और दायित्वों से प्रतिबिम्बित होता है।

जबकि सामान्य समय में राज्यों द्वारा सभी मानव प्राणियों को बढ़ते हुए कतिपय अधिकार स्वीकार्य होते हैं तब नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार होते हैं, जो ग़ैर–नागरिकों के पास नहीं होते। अधिकांश राज्य मतदान का अधिकार और विदेशियों के सार्वजनिक कार्यालय की मंजूरी नहीं देते हैं। दायित्वों के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है। जो कुछ आज हम नागरिकों के अधिकार के रूप में मानते हैं, आरंभ में वह सम्पन्न लोगों तक आरक्षित था। तथापि, घटनाक्रम में बड़े पैमाने पर हुई प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं ने प्रवासियों के विशाल जन समुदाय जिसमें सीमावर्ती, प्रजातीय समूह, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और विकलांग व्यक्ति शामिल थे, का नागरिकता के हित और दायित्वों के प्रति नेतृत्व किया।

सचाई यह है कि एक व्यक्ति जो नागरिक है के पास इतने अधिकार होते हैं जो विदेशियों के पास नहीं होते। विदेशी ऐसे नागरिकों के रूप में प्रकृतिस्थ हो जाते हैं जिनके अधिकार और दायित्व सहवर्ती हों। तटस्थ सदस्यता सीमित विधिक अधिकारों और व्यापक सामाजिक अधिकारों जो पुनर्आवंटनीय व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हैं, के समय अक्सर जुड़ी होती हैं। राज्य उनको विकसित करने और उन्हें बनाए रखने में अहम् भूमिका निभाता है। सक्रिय सदस्यता नागरिक मध्यस्थता को विशेष रूप से दर्शाती है और प्रजातंत्र और नागरिकों की भागीदारी से निकटता से जुड़ी होती है। अधिकांश राजनीतिक समुदाय जिसके सदस्य नागरिक हैं, आज राष्ट्र–राज्य हैं। अतः जब हम राजनीतिक समुदायों की बात करते हैं, हम प्रमुख रूप से राष्ट्र–राज्यों की सदस्यता का हवाला देते हैं।

नागरिकता अधिकार इस अर्थ में सार्वभौमिक हैं। उन्हें तदनुसार लागू करने की अपेक्षा की जाती है। अधिकारों की सार्वभौमिकता के लिए आवश्यक नहीं है कि समूह से जुड़े हुए अधिकारों पर रोक लगा दी जाए और उन्हें इस सीमा तक नियंत्रित किया जाए कि नागरिक सम्बन्धित गुणों से सम्बद्ध हों, ऐसे अधिकारों को उत्तरोत्तर मान्यता मिलती जा रही है। कई समाजों में अल्पसंख्यक और उनसे लाभ न उठा पा रहे समूह कतिपय विशेष अधिकारों का लाभ लेते हैं। तथापि, नागरिकों के समान अधिकारों पर प्रायः समूह अधिकारों और उप–समूहों से सम्बन्धित संस्कृति के साथ विवाद की स्थिति बनी रहती है।

नागरिकता एक विशिष्ट समानता लागू करती है। यह प्रमात्रात्मक और आर्थिक असमानताओं तथा सांस्कृतिक मतभेदों को व्यापक पैमाने पर स्वीकार कर सकती है, परन्तु गुणात्मक असमानताओं को स्वीकार नहीं करती जहाँ किसी पुरुष अथवा महिला को उसके मौलिक दावों और दायित्वों के संदर्भ में दूसरे से अलग दर्जा दिया जाता है। यदि उन्हें विशिष्ट कारणों से अलग माना जाता है, तो ऐसा उनकी उन अहितकारी परिस्थितियों के कारण होता है, जिन्हें वे दूसरों के मुकाबले भोग रहे हैं अथवा उनकी विशिष्ट सामूहिक पहचान के कारण होता है। नागरिकता व्यक्तियों को सामाजिक विरासत का भागीदार बनाती है, जिसका अर्थ है उस समाज जिसपर वे अपना हक समझते हैं, के सभी सदस्यों द्वारा किसी माँग/अधिकार का स्वीकार किया जाना। अतः यह उन सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठानों तक समान पहुँच और भागीदारी मुहैया कराती है जो सामाजिक विरासत में प्राप्त होते हैं। नागरिकता वर्ग और प्रास्थिति अनुचिंतन से अलग रखती है। तथापि, सार्वजनिक जीवन में समान

पहुँच और भागीदारी की सीमा तक नागरिक सामूहिक रूप से एक बड़ी सीमा तक उस फ्रेमवर्क और उन मानदण्डों का निर्णय करते हैं जो सार्वजनिक जीवन को निर्धारित करते हैं। अतः इससे जीवनस्तर पर फर्क पड़ता है। इस सम्बन्ध में इससे पूर्व सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मौलिक स्वतंत्रता का प्रतिस्पर्द्धात्मक बाज़ार की स्वतंत्रता पर हमला किए बिना सृजन और संरक्षण किया जा सकता है? तथापि, बाज़ार की भूमिका के बावजूद, ऐसी सामाजिक प्रवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसमें हाल के वर्षों में नागरिकता निरपवाद रूप से सामाजिक समानता के लिए तरस रही है और आज से 300 वर्ष से अधिक समय से यही महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रवृत्ति रही है।

नागरिकता का एक गहन व्यक्तिपरक आयाम है। इसमें एक जागरूक एजेंसी अन्तर्ग्रस्त है, जो प्रतिबिम्बक और विचारशील है और लोकहित के अपने प्रयासों में सफल रहती है। यह व्यक्ति के अन्दर वर्धमान जीवन का तरीका है, न कि बाहर से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु। अतः नागरिकता पर विधिगत दृष्टिकोणों की अपनी आवश्यक सीमाएँ हैं।

नागरिकता कर्तव्य और अधिकार दोनों को प्रभावित करती है। वर्षों से अधिकारों की एक लम्बी शृंखला इससे जुड़ी हुई हैं। नागरिकता से जुड़े हुए कर्तव्यों से, के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके राज्य की भूमिका के बढ़ने तथा नागरिक पहल में कमी आने के संदर्भ में दीर्घकालिक परिणाम हैं।

नागरिकता को तीन आयामों में बाँटा जा सकता है :

i) सिविल अर्थात् असैनिक

ii) राजनीतिक और

iii) सामाजिक

i) सिविल आयाम में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अधिकार शामिल हैं, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हक दिखाने की स्वतंत्रता तथा वैध संविदाओं के निपटान और न्यायसंगत व्यवस्था के लिए संघर्ष करने का अधिकार। अन्तिम अधिकार के तहत व्यक्ति कानून के अन्तर्गत अन्य के साथ समानता के संदर्भ में अपने दावों की रक्षा करता है और उनपर हक दर्शाता है। न्यायालय प्रमुख रूप से सिविल अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में, कार्य करने का अधिकार मौलिक सिविल अधिकार है, अर्थात् अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार और अपनी रुचि के स्थान पर दूसरे के अधिकारों से सीमित कार्य करने का अधिकार।

ii) राजनीतिक आयाम में ऐसे निकाय के सदस्य के रूप में राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल में भाग लेने के अधिकार शामिल हैं, जैसे राजनीतिक प्राधिकार, मतदान, राजनीतिक नेतृत्व की अपेक्षा करने और उसका समर्थन करना, ऐसे राजनीतिक प्राधिकारी का प्रबल समर्थन जो न्याय और समानता का पक्षधर है तथा अनुचित राजनीतिक प्राधिकारी के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है।

iii) सामाजिक आयाम में सम्पूर्ण प्रकार के दावे शामिल होते हैं, जिनमें आर्थिक कल्याण और सुरक्षा का अंश, सामाजिक विरासत में पूरी तरह भाग लेने तथा किसी समाज विशेष में प्रचलित मानकों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार अन्तर्ग्रस्त है। सामाजिक आयाम में संस्कृति का अधिकार भी शामिल है जिसके कारण मनुष्य स्वयं के लिए विशिष्ट जीवनयापन करने का हकदार बनता है।

संघीय समाज जो आधुनिकता की शुरुआत से पहले विश्व के एक बड़े हिस्से में प्रचलन में था, में प्रास्थिति वर्ग की पहचान थी और असमानता में अन्तर्निहित थी। अधिकारों और कर्तव्य के बीच कोई समान मानक नहीं थे, जिनके कारण पुरुष और महिला को समाज में उनकी सदस्यता के कारण नैसर्गिक दर्जा दिया जाता। नागरिकों की समानता वर्गों की असमानता की अर्हक नहीं थी। भारत में जाति प्रथा, अधिकारों और दायित्वों ने जातियों को असमान रूप से वर्गीकृत किया, यद्यपि यहाँ प्रचलित असमानता का स्वरूप संघीय समाज की असमानता से महत्त्वपूर्ण स्थिति तक भिन्न था। ये असमान व्यवस्थाएँ ऐसी व्यवस्था से विस्थापित हुईं, जो व्यक्ति के ऐसे सिविल अधिकारों पर आधारित थीं जो स्थानीय परम्परा की बजाए देश के आम कानून के अनुरूप थे। अधिकारों के विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त और प्रतिबिम्बित करने वाली विभिन्न संस्थाओं का विकास असमान था। यूरोप में, इन अधिकारों के विकास का पथ अठारहवीं शताब्दी में सिविल अधिकारों, उन्नीसवीं शताब्दी में राजनीतिक अधिकारों और बीसवीं शताब्दी में सामाजिक अधिकारों के रूप में चिह्नित किया जा सकता है तथा उपनिवेशों में, विशेष रूप से भारत में, हमें राष्ट्रीय आन्दोलन और स्वतंत्र राज्य का पता चलता है जिसके अनुक्रम में इन सभी तीन गुने आयामों को एक साथ अधिरोपित किया गया।

## 8-4 mnkjoknh ykdr=] ukxfjdrk rFkk uxj lLÑfr

उदारवादी लोकतंत्र में, लोक प्राधिकार स्वतंत्र और समान नागरिकों के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। स्वतंत्र और समान नागरिक जिन पर शासन किया जाता है, अपने नाम पर शासन करते हैं अथवा दूसरे शब्दों में, अपने ऊपर वे स्वयमेव शासन करते हैं। उसी दौरान, राज्य से स्वतंत्र और समान नागरिक जिनके नाम पर वह शासन करता है, बनाने में कुछ भूमिका अदा करने की अपेक्षा की जाती है। राज्य से समर्थित लोक शिक्षा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी प्रकार की पहचान बनाने और बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।

उदारवादी लोकतांत्रिक समाज की शिक्षा और अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों की विधा अपने नागरिकों को स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है, जो प्रसंगवश किसी विशेष प्रजाति वर्ग और धार्मिक समुदायों के सदस्य होते हैं। प्रजातीय वर्ग और धार्मिक सम्बन्धों से अक्सर समष्टिमूलक सम्बन्ध उभरते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का सुझाव है कि ऐसे समुदायों से उत्पन्न समष्टि राज्य को अपने नागरिकों पर नियंत्रण रखने में असंगत बनी रहती हैं। मार्क्सवादियों और हाल के वर्षों में जनसमुदायवादियों ने पाया है कि नागरिकता का यह बोध आदर्शयुक्त और संकीर्ण है तथा नागरिकों के अन्तर्निहित स्वरूप को गंभीरता से नहीं लेता।

तथापि, उदारवादी लोकतंत्र में लोकशिक्षा अभी तक विशेष रूप वाले सांस्कृतिक समुदायों द्वारा उत्पन्न समष्टि और औपाधिक तंत्र पर सापेक्षवाद से प्रभावित हुई है। उसका सुझाव था कि नागरिकों की पहचान पूर्णतः और अनन्यतः उन समष्टियों में अन्तर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों से नियंत्रित नहीं होनी चाहिए। नागरिक शिक्षा जो नागरिकता के निर्माण में अहम् थी, ने कतिपय नियामिक मानकों जैसे आदर्श दृष्टिकोण, नागरिकों के लिए उपयुक्त अधिकार और मूल्य को अन्तर्निविष्ट करने का प्रयास किया। ऐसी नगर संस्कृति नागरिकता के समर्थन के रूप में महसूस की गई। तथापि, यह ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा से समष्टियों का प्रादुर्भाव हुआ जो अपने आप में विशिष्ट थी, जिनमें संस्थाओं और उनकी शिक्षा विशेष को बाज़ार में उनके मूल्यांकन के अनुसार वर्गीकृत किया गया। अतः, नगर संस्कृति जिससे उदारवादी लोकतंत्र फलाफूला, प्रमुखतः उभयभावी थी।

नगर संस्कृति जो सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित संस्कृति के विशिष्ट स्वरूप की थी ने विश्वस्तरीय दृष्टिकोणों, जीवन जीने के तरीकों, प्रकृति के अनुभवों तथा उत्कर्षता के मानकों जो मानवीय व्यवहार और स्वबोध शक्ति को दिशा देते हैं, को प्रस्तुत किया है। इसका अनुनय विनय की प्रक्रिया से सृजन, कायाकल्प और पुनर्जन्म हुआ है। नागरिक जीवन के लिए उपयुक्त मानदण्डों को नागरिकों द्वारा नगर संस्कृति के साथ अपने अंतरपृभठ पर अपनाए जाने की आशा है। तथापि, नगर संस्कृति के पास कतिपय संसाधन होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न बहुवाद कतिपय सीमाओं के भीतर रहता है। नगर संस्कृति स्वतंत्र और समान व्यक्तित्व के दृष्टिकोण के आधार पर अपने सदस्यों के समक्ष एक नागरिक नैतिक आदर्श अवधारित करती है। इसके अतिरिक्त यह माना हुआ तथ्य है कि किसी समाज में, सदस्यों का स्वबोध उन विशिष्ट सांस्कृतिक समुदायों जिनसे वे सम्बन्ध रखते हैं, के नैतिक मानकों द्वारा विनिर्मित होता है, नगर संस्कृति में एक मजबूत ''किलेबन्दी की क्षमता' होती है। समाज का प्रभाव जन्म से ही सामुदायिक मान्यताओं और पृथाओं के माध्यम से प्रबल रूप से प्रकट होने लगता है, जबकि शैक्षणिक प्रक्रियाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत विलम्ब से होता है।

## 8-5 ekDlokn vkj ukxfjdrk

मार्क्सवादी परम्परा लगातार नागरिकता के मुद्दे से नहीं जुड़ी हुई है, अपितु कुछ सीमा तक इसके बारे में गहन द्वैतवाद है। मार्क्सवादी महसूस करते हैं कि पूँजीवादी राज्य का सिद्धांत कुल मिलाकर सामाजिक सम्बन्धों को नागरिकों के बीच उनके वर्ग सम्बन्धों की कुतर्कपूर्ण व्याख्या करते हुए, सम्बन्धों के रूप में पुनःआरोपित करता है। उसी समय मानव मध्यस्थता जो नागरिकता को आगे ले जाती है, इसलिए सराहनीय है क्योंकि यह स्वयं पूँजीवाद के भीतर विरोधाभासों को और बढ़ावा देती है। मार्क्सवाद पर्याप्त रूप से इस बात को प्रतिबिम्बित नहीं करता है कि नागरिकता जैसी पुरानी धारणा कब से पूँजीवाद में नियोजित हुई है और ऐसी भूमिका निभा रही है जो पूँजीवादी सिद्धांतवाद के केन्द्र में है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय धाारणा ऐसी हैं जो नागरिकता के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ी हुई हैं जैसे अधिकार, न्याय और स्वाधीनता द्वैतवाद।

मार्क्सवादियों के लिए सभी वर्गों में विभाजित समाजों में मूलभूत सामाजिक सम्बन्ध वर्ग सम्बन्ध हैं। यह संघवाद के अधीन किसानों और ज़मींदारों के बीच तथा कर्मी वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच का सम्बन्ध है, जो निर्णायक तौर पर क्रमशः संघवाद और पूँजीवाद के बीच सामाजिक रिश्तों का निर्माण करता है। यदि वर्ग सम्बन्ध स्वयं को मौलिक सम्बन्धों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब सामाजिक सम्बन्ध उसे वर्ग संघर्ष के दलदल में ले जाएँगे जो ऐसी सामाजिक एकता के लिए ख़तरा है, जो विश्वसनीय है और पूर्ववर्त्ती स्थिति में राज्य के लिए पूर्वतः निग्रही प्रभाव पैदा करती है, जिससे विभिन्न वर्गों और वर्ग संघर्ष को नियंत्रण में रखा जा सके।

राज्य का सिद्धांतवाद वर्ग संघर्ष पर काबू पाने तथा वर्ग सम्बन्धों से अन्यथा सामाजिक सम्बन्धों को नए सिरे से बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। पूँजीवाद के तहत, मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि सामाजिक रिश्ते, इस आदर्शवाद से नागरिकों के बीच रिश्तों के रूप में निर्मित होते हैं। नागरिकों को स्वतंत्र और समान घोषित किया जाता है तथा कभी–कभी उन्हें सांस्कृतिक लोकाचार और सभ्यतात्मक बंधन के मूल में रखा जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता का बाज़ार के विनिमय सम्बन्धों में अपना प्रतिस्थानी होता है, जहाँ एकपक्षीय दृष्टिकोण के तहत समान का समान से विनिमय होता है तथा इस विनिमय व्यवस्था के एजेंट अपने उत्पादों का विनिमय करने के लिए स्वतंत्र होते

हैं। तथापि, राज्य द्वारा निर्मित ऐसा आदर्शवाद अलौकिक और आंशिक रूप में देखा जा सकता है, जब समझ और विश्लेषण ऊपरी सतह तक सीमित होते हैं। ऐसी प्रक्रिया में सामाजिक रिश्ते को वर्ग सम्बन्धों का नाम दिया जाता है, जो मौलिक वर्गों के बीच अनुत्क्रमणीय संघर्ष का रूप लेते हैं।

मार्क्सवादियों के लिए, तथापि, राज्य सिद्धांतवाद का पूँजीवाद सहित सभी समाजों में वास्तविक आधार है, यद्यपि यह वास्तविक आधार सामाजिक वास्तविकता का एक अनन्य और एकपक्षीय प्रस्तुतीकरण है। यह मात्र कपोल कल्पना नहीं है। सामाजिक कार्यकर्त्ता जो किसी वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं होते, इस सिद्धांतवाद के माध्यम से समाज में अपनी भूमिका और जगह तलाशने के लिए आते हैं। पूँजीवाद समाज में इस सिद्धांतवाद की प्रबलता राज्य की उन विशालकाय संस्थागत और विचारपरक परिसरों के कारण प्रभावी और परिव्यापी बनी रहती है, जिनके माध्यम से इसे प्रसारित किया जाता है जैसे सार्वजनिक शिक्षा, मीडिया, नागरिक संघ, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, विधिक न्यायिक संगठन तथा यदा–कदा धार्मिक संगठन भी। फ्रांसीसी दार्शनिक लुईस अलथुसेर ने उन्हें राज्य के सिद्धांतवाद के उपस्कर का नाम दिया। इस सिद्धांतवाद की शर्तों के तहत, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सजगता दैनिक और प्रमुख तौर पर नागरिकों की सजगता होती है, जब तक और जहाँ तक इसे पूँजीवाद और वर्ग संघर्ष के विवादों द्वारा उनपर काबू पाने की चुनौती नहीं दी जाती है।

अतः मार्क्सवादी उदारवादी लोकतंत्र द्वारा वचनबद्ध समान और स्वतंत्र नागरिकता की धारणा की स्वयं, धारणा की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाए बिना, दुहरी समालोचना की माँग करते हैं। प्रथमतः यह व्यापारी वर्ग की स्वतंत्रता से सम्बन्धित बाज़ार के मात्र ऊपरी मुखौटे को अभिव्यक्त करती है, तथा उन गंभीर विरोधाभासों को छिपाती है जिनसे पूँजीवाद के तहत सामाजिक रिश्ते पर प्रश्नचिह्न लगता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की एक लम्बी शृंखला इस धारणा पर आधारित है और उसके फलस्वरूप इसको लागू करते हैं। दूसरे, नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार और कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हैं तथा पूँजीवादी रिश्तों के बीच विरोधाभासों को अनावृत्त करना तथा उनपर नियंत्रण के लिए संघर्ष जारी रखना आवश्यक है। सामाजिक वर्ग स्वयं को संगठित नहीं कर सकते, यदि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नागरिकता से जुड़ी हुई स्वतंत्रता नहीं दी जाती।

## 8-6 tulkekU; vkj ukxfjd

दार्शनिक तौर पर मानव के विशेष लक्षण और अधिकार होते हैं, जिनके कारण वह अन्य प्राणियों से अलग पहचान बनाए हुए है, परन्तु समुदायों और राज्यों ने उन्हें बहुत ही कम मान्यता दी है, जब तक वे देशज नहीं हैं अथवा वे सभ्यता के उस विशाल दायरे में नहीं आते जिसके ये राज्य और समुदाय अंग हैं। आधुनिक समय में, मानव की हैसियत वाले सभी मानवों को विशिष्ट अधिकार देने का कतिपय प्रयास किया गया है। अधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय घोषणा इसका एक पर्याप्त उदाहरण है। तथापि, नागरिकों के पास विशेष अधिकार होते हैं चाहे वे ग्रीक, रोम अथवा नगर–राज्यों के सदस्यों से सम्बन्धित हों। तथापि, आधुनिक समय में, नागरिकता की व्यापक समझ के प्रति बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुए हैं। इन आन्दोलनों में उस जगह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी प्रयास किया गया है, जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। टर्नर के अनुसार, नागरिकता के अधिकार ''उन सामाजिक आन्दोलनों जिनका एकमात्र लक्ष्य सामाजिक सदस्यता का विस्तार करना है अथवा उसे परिभाषित करना है, का परिणाम'' हैं। उसने महसूस किया है कि ये आन्दोलन व्यक्तियों की हमेशा

बढ़ती हुई संख्या के लिए नागरिक अधिकारों का विस्तार करने और उन्हें सार्वजनिक करने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ, नागरिकता नागरिकों को एक जनसमूह के संवरण की कार्रवाई है। परिणामतः राज्य नागरिकों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान देते हैं।

हॉफमैन और जानॉस्की का सुझाव है कि नागरिकों के चार वर्ग हैं, जो या तो नागरिकता से बहिष्कृत कर दिए गए हैं अथवा उन्हें नागरिकों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए अथक संघर्ष करना पड़ा।

i) dyfdr ekuo % ये मानव सामाजिक रूप से कलुषित अथवा अशक्त होते हैं। इनमें गरीब, अलैंगिक महिलाएँ, ऐसे प्रजातीय समूह जिन्हें निम्न प्रास्थिति का दर्जा दिया गया है, तुच्छ लिंग वाले समलिंगी समूह आदि शामिल हैं। इनमें नागरिकता चाहने वाले अधिकांश आम श्रेणी के अभ्यार्थी हैं। इन समूहों को कर्तव्यपालन और उनके संकीर्ण हितों, जिनसे उनके समुदाय को लाभ पहुँचना असंभव है, के कारण कर्तव्यपालन और नागरिकता के अधिकारों को स्वीकार करने में अक्षम के रूप में देखा जाता है। उन पर लम्बे सामाजिक पर्यवेक्षकों द्वारा अपने मत बेचने का अभियोग लगाया जाता है, क्योंकि वे अपने पति अथवा संरक्षण के नियंत्रण में हैं और उनके पास कोई निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शिक्षा अथवा मानसिक क्षमता नहीं होती। कभी—कभी सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में विसंगतियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यकों और गाने बजाने वालों को भी इस श्रेणी में ले आती हैं। इन समूहों को समान नागरिकता के लिए अथक संघर्ष करने पड़े और ये संघर्ष अभी भी जारी हैं।

ii) v{ke ekuo % ये प्रतिष्ठित नागरिक समूहों से हो सकते हैं, परन्तु उनके अधिकारों और दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर इसलिए प्रश्नचिह्न लगाया जाता है कि वे शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम होने के कारण अच्छे कार्य नहीं कर सकते और अच्छे निर्णय नहीं ले सकते तथा उन्हें दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। तथापि, उन्हें शामिल किए जाने के आन्दोलनों के मद्देनजर, बहुत से देशों ने मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज होने की स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

iii) i:NUu **(Potential)** ekuo % इनमें गर्भवती महिलाएँ, दुर्घटनाग्रस्त, स्थायी तौर पर बेहोश, अचेत मरीज और ऐसे बुजुर्ग नागरिक शामिल हैं, जिनके विचार और कार्य करने की प्रक्रियाएँ समाप्त हो चुकी हैं और अनैच्छिक जीवन जी रहे हैं। वास्तव में उनके अधिकार हैं, परन्तु उनके दायित्वों के बारे में हम बहुत कम कह पाएँगे।

iv) ekuo tSls vekuo vkSj v)Zekuo % इस वर्ग में राष्ट्र, प्रजातीय और धार्मिक समूह भी शामिल हो सकते हैं। उनके पास कतिपय सामूहिक अधिकार होते हैं, जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। कुछ द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्त्ता इस श्रेणी में आते हैं, जैसे ऐसे निगम और कार्यालय जिनका निगमिक इकाई के रूप में माने जाने का दावा राष्ट्रों, प्रजातियों और धार्मिक सम्प्रदायों से पूरी तरह भिन्न होता है। निगमित अधिकारों से एक तंत्रानुसारी वर्ग और दोषपूर्ण रूपरेखा का जन्म होता है, जो उन्हें स्वतंत्र और समान नागरिकता की धारणा के प्रति विवादग्रस्त स्थिति में खड़ा कर देते हैं।

## 8-7 leg&foHkfnr ukxfjdrk (Group Differantiated Citizenship)

अभी तक, कई उदारवादियों के लिए नागरिकता, उसकी परिभाषा के अनुसार, कानून के तहत लोगों को समान अधिकार वाले व्यक्तियों के रूप में मानने का मामला है। उनके अनुसार इससे लोकतांत्रिक नागरिकता संघीय और अन्य आधुनिक दृष्टिकोण से पहले दृष्टिकोणों जिसके अनुसार लोगों की राजनीतिक प्रास्थिति उनके धर्म, प्रजाति और वर्ग सदस्यता के द्वारा निर्धारित की जाती थी, से विशिष्ट रूप से अलग थी। तथापि, आज यह अधिक से अधिक लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है कि सम्पन्न अधिकारों की मात्र घोषणा से कतिपय वर्गों को जो सांस्कृतिक रूप से अलग हैं, समान पहुँच और अवसर सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं। वास्तव में, सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को कतिपय अभिरक्षा दिए बिना समान अधिकार अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों का नियंत्रण बनाने की प्रवृत्ति दिखा सकते हैं। समूह विभेदित नागरिकता सांस्कृतिक सम्बन्धों द्वारा नागरिकता को अर्हक बनाती हैं। यह नागरिकता को समान अधिकार और मतभेद दोनों के रूप में देखती है। समूह विभेदित नागरिकता की घोषणा करने वाला समाज उन सांस्कृतिक मतभेदों का मूल्यांकन करता है, जिनमें समान और स्वतंत्र नागरिक आश्रय लेते हैं।

चूँकि संस्कृतियों की जानकारी में व्यापक परिवर्तन होता है, विल किमलिका ने सुझाव दिया है कि समूह विभेदित अधिकारों के अनुसार संस्कृति की सुसंगत धारा सामाजिक संस्कृति है, अर्थात् ''ऐसी संस्कृति जो अपने सदस्यों को मानवीय क्रियाकलापों के सम्पूर्ण दायरे में जीवन का अर्थपूर्ण मार्ग मुहैया कराती है, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को परिवेष्टित करने वाला आर्थिक जीवन शामिल हैं।'' यह मात्र साझा यादगारें अथवा मूल्य नहीं है, अपितु सार्वजनिक संस्थान और मूल्य भी हैं। उनके अनुसार, सामाजिक संस्कृति सामाजिक जीवन के दैनिक शब्दकोश में अभिव्यक्त होती है तथा मानव क्रियाकलापों के अधिकांश क्षेत्रों जैसे स्कूल, संचार माध्यम, अर्थव्यवस्था, सरकार आदि को शामिल करने वाली प्रथाओं में प्रतिबिम्बित होती है। उसका तर्क है कि संस्कृति सामाजिक होने मात्र से आधुनिक समय में बने रहने के लिए सक्षम है। नागरिकता इस सामाजिक संस्कृति और नागरिकों से उनके कार्यों से गहराई से जुड़ी हुई है और इस संस्कृति को नए–नए रूप देती रहती है। सांस्कृतिक संस्कृतियाँ स्वाधीनताओं के संदर्भों को समझने और उन्हें प्रोन्नत करने में अहम् भूमिका निभाती है। किमलिका ने सुझाव दिया है कि ''स्वाधीनता में विभिन्न विकल्पों में से विकल्प चुनना अन्तर्निहित है और हमारी सामाजिक संस्कृति हमें मात्र इन विकल्पों को मुहैया ही नहीं कराती, अपितु उन्हें हमारे लिए अर्थपूर्ण बनाती है।'' संस्कृति के संदर्भ में कहा गया है कि सामाजिक प्रथाओं के मूल्य कम आँके जाते हैं। सांस्कृतिक कथाकारों की पृष्ठभूमि में यह कहना है कि उचित आचरण के कतिपय प्राधिकार हमारे लिए हैं, ऐसा आचरण तदोपरान्त हमारी स्वाधीनताओं के अनुप्रयोग से संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए, कानून के प्रसिद्ध दार्शनिक रोनाल्ड ड्वॉर्किन के अनुसार हमारी संस्कृति को ''ढाँचागत आधारहीनता अथवा क्षरण'' से संरक्षण की आवश्यकता है। लोगों के अर्थपूर्ण विकल्प प्रमुखतः उनकी सामाजिक संस्कृति की पहुँच पर निर्भर करते हैं।

संस्कृतियाँ जीवन की ऐसी स्थितियाँ हैं, जो अधिक टिकाऊ हैं। हालाँकि ऐसे लोगों के उदाहरण भी हैं, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को सफलतापूर्वक अपनाते रहे हैं, परन्तु अधिकांश लोगों के लिए यह युक्तियुक्त विकल्प नहीं है। वास्तव में, संस्कृतियाँ नीरस जल नहीं हैं। उनमें समय–समय

पर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु इन परिवर्तनों की प्रक्रिया में वे स्वयं वही संस्कृति बनी रहती हैं। उदारीकरण और भूमंडलीकरण से संस्कृतियों के बीच एक बेहतर अंतरपृभठ बना है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि संस्कृतियों के पास आने से लोग अपनी पहचान के प्रति कम जागरूक हैं। यदि ऐसा है, तो यह उसके एकदम प्रतिकूल है।

मारगलित और राज ने संस्कृतियों के टिकाऊपन के लिए दो प्रमुख कारण बताएँ हैं। पहला, सांस्कृतिक सदस्यता अर्थपूर्ण विकल्प मुहैया कराती है। उनके अनुसार, संस्कृति के परिचय से कल्पना की सीमाएँ निर्धारित होती हैं और यदि किसी संस्कृति का ह्रास होता है, तो उसके सदस्यों को उपलब्ध विकल्प और अवसर कम हो जाएँगे, कम आकर्षक होंगे और उनकी जानकारी संभवतया कम सफल होगी। दूसरा कारण यह है कि स्व पहचान और मौलिक स्तर पर दूसरों द्वारा उसकी मान्यता 'सम्बन्धित होने के मानदण्ड' पर निर्भर करती है, न कि निजी 'उपलब्धि' पर। सामाजिक पहचान और सम्बद्धता जो इससे उद्भूत होती हैं लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान इसे गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं।

सांस्कृतिक सदस्यता किसी के प्रतिष्ठानों को एकांगी उदाहरण के रूप में पेश नहीं करती है अपितु उन्हें सम्बद्ध करती है और सम्पूर्ण परम्परा के साथ पुनः प्रतिष्ठित करती है। जब प्रतिष्ठानों से संस्कृति अलग हो जाती है, तब उनमें लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक और जानदार भी होती है। इससे सम्बन्ध टिकाऊ और विश्वस्त होते हैं।

तथापि, अपनी स्वाधीनताओं को नियोजित करने वाले लोग अपनी आसक्तियों और सम्बद्धता का संशोधन भी करते हैं तथा जन समुदाय के विशाल बहुमत के लिए सम्बद्धता और उनकी स्वाधीनताओं के अनुप्रयोग सामाजिक संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र–राज्य को पता होता है।

सामाजिक संस्कृति एकरूप नहीं है। यह विविध विचारधाराओं और स्वायत्त संस्कृतियों से मिलकर बनी है। प्रायः लोग इन विचारधाराओं और संस्कृतियों के माध्यम से सामाजिक संस्कृतियों तक पहुँचते हैं। इन विचारधाराओं में अन्तर्विष्ट विशिष्ट पहचानें ऐसी संस्कृति से बनती हैं, जो बदले में कुल मिलाकर उसे जैसा रूप दें।

नागरिकता और सांस्कृतिक अन्तर्वेष्टता के बीच दो तरह के रिश्ते बताए गए हैं :

i) सहजगुण स्वरूप नागरिकता

ii) नागरिकता समूह–विभेदित पहचान

## 8-7-1 ukxfjdrk % lkLÑfrd igpku l Lor=&lgt x.k Lo:i

समुदायों के रूप में गठित सांस्कृतिक पहचान उन नैतिक आदर्शों की पुष्टि करती है, जो उसके सभी सदस्यों पर लागू माने जाते हैं। प्रायः वे जीवन का व्यापक मार्ग प्रस्तुत करते हैं जो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि एक अथवा सभी के लिए अच्छा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। इसमें लगभग कुछ निश्चित धारणाएँ जैसे लिंग, मित्रता, कार्य, परेशानी, पाप, मृत्यु और मुक्ति जैसे मौलिक मुद्दों से सम्बन्धित जीवन में क्या महत्त्वपूर्ण नहीं है, अन्तर्ग्रस्त होती हैं। यह इन मुद्दों को निश्चित व्यवस्था और अर्थ देती है। यह मानवीय गुणों को श्रेणीबद्ध करती है और निबंधित समष्टि के शब्दों में महत्त्वाकांक्षाओं को सुनिश्चित करती है।

समुदाय स्थायी और सुविख्यात कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को नियत करते हैं। आचरण का मूल्यांकन करने वाले मानक अस्पष्ट हैं। समुदाय मानवीय इच्छा को निश्चेय चैनलों तक ले जाते हैं। इन समुदायों के साथ संचार में सुस्पष्टता और प्रभावकारिता आती है, जो उसके पार्श्व में परिकल्पनाओं की सार्वजनिक भागीदारी के कारण है। समुदाय सम्पूर्ण क्रियाकलापों जिससे वे गठित हैं, पर अर्थ, प्रयोजन, मूल्य और उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रश्नों की और ध्यान नहीं देते हैं।

नागरिकता की इस धारणा को, आश्रय देने वाले ऐसे समुदाय के बावजूद, समुदाय से स्वतंत्र परिभाषित किया जाता है। नागरिकता राजनीतिक समुदाय में सदस्यता और भागीदारी तक सीमित है तथा उत्कृष्ट जीवन की किसी व्यापक धारणा के समर्थन की इच्छा नहीं करती है अथवा किसी विशिष्ट समुदाय द्वारा समर्थित श्रेष्ठता की किसी व्यापक धारणा का अनुमोदन नहीं करती है। यह स्वयमेव विशिष्ट उत्कृष्ट जीवन के आदर्शों का समर्थन करने वाले विविध सांस्कृतिक समुदायों के कई गुनापन को अन्तर्विष्ट कर सकती है। ऐसी स्थिति में, नागरिकता सम्बन्धित समुदायों द्वारा पोषित पृथक् आदर्शों और मूल्यों को हिसाब में लिए बिना सार्वजनिक जीवन के समांकन के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ कार्य करने के आदर्श को पेश करती है, परन्तु इसी के साथ अपने सदस्यों के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल देती है। इस प्रकार की धारणा में जब कोई नागरिक अपनी सामुदायिक पहचान और नैतिक आदर्श के लिए वचनबद्ध होता है, वह उस समय उसका सम्मान करती है और उन साथी नागरिकों की सहमति से कार्य करती है जिनकी पहचान और आदर्श उससे काफी सीमा तक भिन्न होते हैं।

समुदाय के सदस्य के दृष्टिकोण से हटकर इस प्रकार की नागरिकता की धारणा के लिए व्यक्ति को स्वाधीनता के लिए तथा स्वयं को शरणस्थली के विशिष्ट समुदाय से स्वतंत्र परिभाषित करने के लिए क्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता होती हैं। तथापि, नागरिकता स्वयमेव व्यापक जीवन आदर्श के लिए पर्याप्त रूप से समृद्ध सांस्कृतिक संसाधन मुहैया नहीं करा सकती। समानता की पुष्टि के लिए व्यक्ति के लिए दुहरा फ्रेमवर्क नियोजित करना अपेक्षित है, जो एक समुदाय के लिए उचित हो तथा एक नागरिक के तौर पर सभी नागरिकों को समान प्रतिफल दिलाए। समान प्रतिफल के प्रयोजनार्थ एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है, जो सामाजिक तन्त्रों से स्वतंत्र हो और जहाँ सभी नागरिक एक–दूसरे के साथ समान बर्ताव करें। इसमें उस स्थान और प्रतिष्ठानों, जो इसकी विशेषताएँ हैं, का पुनर्त्थान सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी तौर पर नागर मित्रता अन्तर्ग्रस्त होती है। यह पर्याप्त नहीं है कि नागरिक जीवन का मात्र एक लक्षण 'जियो और जीने दो' अपनाएँ, जो परस्पर तालमेल की सौम्य मनोस्थिति है।

बहुतों के लिए जो अपने सामुदायिक आदर्शों के प्रति प्रगाढ़ता से वचनबद्ध हैं, इस तरह का दुहरा फ्रेमवर्क मुश्किल हो सकता है। ऐसे विश्वास और सामाजिक प्रथाएँ जो हमारे लिए असंगत हैं, काफी सीमा तक भयावह हो सकती हैं। नागरिकता की ऐसी समझ के साथ अन्तर–पृभठ में गहरे पैठे विश्वास और प्रतिष्ठित प्रथाओं के लिए इस प्रकार के ख़तरे से पादरी क्षेत्र, कट्टरपंथी, बहिष्कारवादी, प्राधिकारवादी और संघीयवादी प्रवत्तियों में वृद्धि हो सकती है।

## 8-7-2 ukxfjdrk % leg&foHkfnr igpku Lo:i

नागरिकता का यह दृष्टिकोण समूह विभेदित पहचानों पर अधिक बल देता है, जिनके आन्तरिक संसाधन राजनीतिक समुदाय में अभिव्यक्त अतिव्याप्त सहमति के गठन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे राजनीतिक समुदाय में शामिल विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय नागरिकता से समर्थित अपनी निजी

परम्पराओं जैसे नागरिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के भीतर पहचान बनाते हैं और उत्पादन करते हैं। ऐसा नियामिक दृष्टिकोण उन नागरिकों को सम्बोधित होता है, जिनका निर्माण उन विशिष्टतावादी सांस्कृतिक समुदायों जिनसे वे सम्बन्धित हैं, के मानकों द्वारा उनकी समझ और इच्छाओं के अनुरूप हुआ है। निर्माण प्रक्रिया वस्तुतः जन्म से आरंभ होती है। नागरिकता में सुधार अपेक्षाकृत देर से महसूस होता है : नागरिकता नैतिक आदर्शों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं होती है। नागरिकता की सोच में एक व्यापक आदर्श और जीवन–पथ को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त नहीं होती, अपितु ऐसी सामुदायिक पहचानों के बहुवादी होने के तथ्य के तहत सामुदायिक पहचान स्वयमेव पुनःव्यवस्थित होती है।

इस धारणा में नागरिकता का अर्थ विभिन्न समुदायों की बहुत–सी विभिन्न वस्तुओं से है। विभिन्न समुदायों के पास अधिकार और वहन किए जाने वाले अपेक्षित दायित्व भिन्न होते हैं। यद्यपि उनके आधारभूत सिद्धांत समान हैं। ये सिद्धांत स्वयं के संविधान के लिए समुदाय और उस आवश्यकता के प्रतीक हैं, जो स्वतंत्रता और समानता की शर्तों के अधीन राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

नागरिकता की विभेदित समझ के अधीन तीन प्रकार के अधिकार सुझाए गए हैं, यद्यपि गंभीर स्वरूप की विविधता जो भारत, रूस, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों में प्रचलित है, को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में और अधिक जटिल प्रतीकात्मक व्याख्या का सुझाव संभव है।

i) **cg| i!tkrh; vf/kdkjk ij vk/kkfjr ukxfjdrk %** आज अधिकांश राज्य अपने गठन में बहु– प्रजातीय हैं, यद्यपि ग़ैर पाश्चात्य समाजों में इस तरह के गठन का काफी लम्बा अनुभव हमारे पास है। पाश्चात्य समाजों ने अपने उपनिवेशीय विस्तार के मद्देनजर और उपनिवेशवाद के बाद की अवधि में अपने प्रजातीय गठन में मुख्य परिवर्तन अनुभव किए हैं। इन प्रजातीय समूहों ने इस माँग को चुनौती दी है कि वे अपने प्रजातीय विरासत के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ दें और स्वयं को संस्कृति की मुख्यधारा में ले आएँ। आरंभ में उन्होंने अपने विशाल समुदाय जिससे वे सम्बन्धित थे, में बिना किसी भेदभाव के उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार दिए जाने की माँग की। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुए तथा उनके लिए विशिष्ट संगीत और कला का क्षेत्र खुल गया। तथापि इस माँग से उन दृश्य प्रजातीय अल्पसंख्यकों जैसे संयुक्त राज्य में काले लोग, उनके बीच एक छोटे स्तर को छोड़कर, को कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ा। हाल के वर्षों में इन प्रजातीय समूहों ने प्रजातीय संगठनों, पत्रिकाओं और उत्सवों के लिए धन जुटाने की माँग की है, जो कला और संग्रहालयों के लिए धन जुटाने का आवश्यक अंग है। उन्होंने रविवार की छुट्टी, पशुओं को मारना और उस पर कानून, मोटर साइकिल हेल्मेट कानून तथा सरकारी पोशाक, सिर पर पगड़ी पर रोक आदि से छूट माँगी है। ये प्रबल प्रजातीय दावे हैं।

ii) **fo'k"k i!frfuf/kRo vf/kdkj %** कुछ समूहों ने विशेष प्रतिनिधित्व अधिकारों की माँग की है, क्योंकि प्रचलित राजनीतिक प्रक्रिया से उन्हें बाकायदा कुछ नुकसान हो सकते हैं, जिनके कारण वे प्रभावी ढंग से अपने विचार और हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। भारत में, दलितों ने इस आधार पर, विशेष प्रतिनिधित्व की माँग की हैं, जबकि आदिवासियों ने उनके साथ प्रजातीय अधिकारों की माँग की है।

iii) **Lo'kklu vf/kdkj %** स्वशासन अधिकार समूह विभेदित अधिकार के लिए एक तीव्र माँग का मामला है। वे लोगों को उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, क्षेत्रगत और सत्ता जिसकी वजह से उन्होंने

एक पृथक् राजनीतिक समुदाय की हैसियत पाई है, की पहचान वाले पृथक् राजनीतिक क्षेत्रों में बाँट सकते हैं। वे स्वयं को सदस्यों के पक्षधर होने का झूठा दावा कर सकते हैं और गौण रूप से व्यापक नागरिकता का दावा कर सकते हैं।

उदारवादियों ने समूह विभेदित नागरिकता पर अपनी जबर्दस्त पकड़ का इजहार किया है। अमेरिकी प्रसंग में, नेथन ग्लेज़ियर का तर्क है कि यदि समूहों को नागरिकता के संघटक के रूप में उनके मतभेदों को ध्यान में रखकर प्रोत्साहित किया जाता है, तो ''सभी अमेरिकियों को महान भाईचारे की आशा छोड़नी पड़ेगी''। यह तर्क दिया गया है कि सांस्कृतिक अथवा समूह अधिकार भयानक है क्योंकि वे व्यक्तिगत अधिकारों की प्राथमिकता का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि समूह–विभेदित नागरिकता ''सामुदायिक बोध और सामान्य प्रयोजन की चेतना पैदा करने की युक्ति'' नहीं रह पाती। नागरिकता की यह धारणा गुप्त रूप से बहुवादी है और विभेदमूलक सिद्ध हो सकती है। ऐसा महसूस किया गया है कि यदि नागरिकता विभेदित होती है, तो इससे कोई साझा अनुभव अथवा आम हैसियत प्राप्त नहीं होती। समूह विभेदित नागरिकता समूह अथवा समूह के नेताओं के प्रतिनिधित्व की अपेक्षा करती है न कि स्वयमेव नागरिकों के प्रतिनिधित्व की जिनके अपने अधिकार अन्तर्विष्ट हैं। समूह विभेदित नागरिकता के तहत प्रजातीय समूहों को विशेषाधिकार से सम्बन्ध विच्छेद करके लोग आत्म निर्धारण और स्वाधीनता पाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार, नागरिकता की यह धारणा राज्य और उस समाज के लिए ख़तरा बन सकती है, जो सार्वभौमिक नागरिकता की वकालत करते हैं। इससे गृह युद्ध और ऐसे संघर्ष छिड़ सकते हैं, जिनका समाधान न किया जा सके। वस्तुतः उदारवादी तर्क देते हैं कि भागीदारी ढाँचा जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय संसाधन वितरण पर बेहतर लोकतांत्रिक नियंत्रण हो सकता है, विभेदित बहिष्कृत समूहों से निपटने का नागरिकता की अपेक्षा बेहतर तरीका हो सकता है। कुछ लोगों को आशंका है कि समूह आधारित दावों से लोगों के बीच आत्मीयता आगे और कम हो सकती है। ये संभव है कि अल्पसंख्यकों और बाहर से आए लोगों की एकता को भी ''उन्हें साझा संकेतों, समाज और भविष्य की अपेक्षा उनके विभिन्न मूल समूहों'' में रखकर नुकसान पहुँचाएँ।

इनमें से अधिकांश समालोचनाएँ नागरिक अधिकारों और दायित्वों की सैद्धान्तिक विचार धारणा पर उत्कट मामलों में लागू होती हैं। प्राथमिक मुद्दा जिसे समूह विभेदित दावों में उठाया जाता है यह है कि क्या समूह को समान दर्जे के साथ राजनैतिक समुदाय में शामिल किया जाए अथवा नहीं। यदि उन्हें बहिष्कृत अथवा आंशिक रूप से बहिष्कृत किया जाता है तो ऐसे समूहों के सदस्य समान अधिकारों के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। प्रायः बहिष्कार और विभेदन से ऐसे लोगों के बीच स्वशासन के दावे ढह जाते हैं, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र और साझा संस्कृति से सम्बद्ध हैं। स्वशासन और आत्म–निर्धारण की माँगें आज अधिकतर उन सांस्कृतिक समूहों तक सीमित हैं, जो विशेष राष्ट्रीयता का दावा करते हैं। तथापि, कभी–कभी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित बहिष्कृत समूहों जो स्वशासन और राष्ट्रीय आत्म–निर्धारण के लिए माँग करते हैं, के बीच सीमारेखा बहुत पतली रहती है।

## 8-8 lkjk'k

नागरिकता आज के राजनीतिक लेखन और चिंतन में एक अत्यधिक शौर्य का प्रकरण है। नागरिकता में यह उत्कृष्ट हित चिंतन हमारे समय में पर्याप्त राजनीतिक प्रगति के कारण हैं। जबकि नागरिकता की धारणा आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के विशेष संव्यवहार के साथ–साथ चलती है, समान अधिकारों के आधार पर इसके अनुसार अभिनिश्चेय क्षेत्रीय स्तर इस तरह की असमानताओं को सम्बद्ध

नागरिकों के लक्ष्य का मुद्दा बना सकता है। आधुनिक काल में कई सामाजिक आन्दोलन बहिष्कृत सामाजिक समूहों को मात्र नागरिकों के निकाय में शामिल करने के लिए ही नहीं किए जा सके, अपितु वे सामाजिक अधिकारों का दायरा बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए भी हैं। इस तरह के प्रयासों के बावजूद नागरिकता की धारणा गहन रूप से द्वैतवादी बनी रहती है। उदारवादी नागरिकों की समानता और स्वाधीनता पर बल देते हैं। तथापि, मार्क्सवादी नागरिकता को लेकर ज़्यादा संवेदनशील नहीं हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह पूँजीवादी राज्य द्वारा दी गई युक्ति है, जो वर्गों के सामाजिक रिश्तों को नागरिकों का रिश्ता कहना चाहते हैं। तथापि, वे महसूस करते हैं कि राजनीतिक युक्ति के रूप में नागरिकता लोक प्रतिष्ठानों को समालोचना से बचाने तथा उसके विकल्प तलाश करने में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की गति बढ़ाने में पर्याप्त रूप से सहायक हो सकती है। इस धारणा की अस्पष्ट स्थिति के बावजूद यह एक व्यापक समझौता है कि नागरिकता का दायरा बढ़ाया जाए। अधिकारों के दायरे को बढ़ाने के इस चिन्तन से ऐसे सांस्कृतिक समुदाय और आल्पसंख्यक भी इसकी पकड़ में आ गए हैं, जिन्होंने अपनी विशिष्ट दुर्दशा के लिए अधिकारों को बढ़ाए जाने की माँग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि समान अधिकारों के साथ–साथ राजनीतिक समुदायों और उनके प्रतिष्ठानों को सुव्यवस्थित करने के लिए उनके विशिष्ट मतभेदों का भी ध्यान रखा जाए।

नागरिक–विषय आज की आम बहस के तहत कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निकटता से जुड़े हैं, जैसे– सभ्य समाज, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र तथा नागरिक दायित्व। भूमण्डलीकरण तथा उदारीकरण की परिस्थितियों में रहकर राज्य की परिवर्तित भूमिका राजतंत्र की पुष्टता के लिए नागरिकता का आह्वान करती है। इसके अतिरिक्त, नागरिकता का दिगन्त अब राष्ट्र–राज्य की सदस्यता तक सीमित नहीं रहा है। उन नागरिकों हेतु एक समतल क्रीड़ा–क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए सांस्कृतिक व सिद्धांतात्मक लगाव पैदा किए जा रहे हैं, जो अपने सांस्कृतिक लगावों को लेकर अन्यथा स्थिति में गहरे विभाजित हैं।

## 8-9 vH;kl

1. लोकतांत्रिक समाजों में नागरिकता के प्राकृतिक महत्त्व को स्पष्ट करें।
2. उदारवादी लोकतंत्र तथा नागरिकता से उसके संबंध पर चर्चा करें।
3. नागरिकता की मार्क्सवादी संकल्पना पर चर्चा करें।
4. व्यक्तियों तथा नागरिकों के बीच भेद स्पष्ट करें।
5. नागरिकता तथा सांस्कृतिक पहचान के बीच संबंध पर चर्चा करें।
6. समसामयिक समाजों में नागरिकता के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करें।